राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—431/2025

डॉ. मुकेश कुमार भारद्वाज

—अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, राजकीय आयुर्वेद एवं चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर, राजस्थान।
2. निदेशक, आयुर्वेद विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. डॉ. ज्योति स्वरूप शर्मा, एसएमओ— I, जरिये निदेशक, आयुर्वेद विभाग, अजमेर।

—प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक	:	17.01.2025
आदेश की दिनांक	:	05.02.2025

उपस्थिति :—

अपीलार्थी की ओर से : श्री विजय पाठक, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : सुश्री राधिका महरवाल, अति.राजकीय अभिभाषक

समक्ष :— विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी के पद पर राजकीय आयुर्वेद डिस्पेंसरी, आदर्श नगर, जयपुर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 16.01.2025 (अनुलग्नक—1) के द्वारा अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण वर्तमान पदस्थापन स्थान से राजकीय आयुर्वेद औषधालय, बेरीभजनगढ, जिला सीकर में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि अपीलार्थी की माताजी 78 वर्षीय वृद्ध महिला है, जो मधुमेह रोग और किडनी की बीमारी से ग्रसित है, जिनकी डायलिसिस जयपुर में ही हो रही है। अपीलार्थी की माता की देखभाल की जिम्मेदारी अपीलार्थी पर ही है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किये जाने से अपीलार्थी को विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ेगा।
3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से

यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी की माता वृद्ध है, जो मधुमेह रोग और किडनी की बीमारी से ग्रसित है, जिनका ईलाज जयपुर में ही चल रहा है।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 3 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 16.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वही कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
(अध्यक्ष)